



जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार



संविदा के आधार पर नर्स ग्रेड-ए के नियोजन हेतु आवश्यक सूचना

जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद द्वारा दैनिक समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन पी० आर० 6326 के आलोक में नर्स ग्रेड-ए के नियोजन हेतु दिनांक 11.08.18 को काउन्सेलिंग आयोजित किया गया था। काउन्सेलिंग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण-पत्र के आधार पर सूचनाओं को कम्प्यूटराईज्ड किया गया है। कम्प्यूटराईज्ड सूची जिले के वेबसाइट <http://aurangabad.bih.nic.in> अथवा जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद के कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी को प्रकाशित कम्प्यूटराईज्ड विवरणी में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में कोई दावा/आपत्ति हो तो वे अपना दावा/आपत्ति दिनांक 03.11.18 के अपराह्न 05:00 बजे तक जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद कार्यालय में साक्ष्य के साथ लिखित आवेदन दे सकते हैं। साथ ही जिन अभ्यर्थियों के द्वारा बिहार राज्य नर्सिंग काउन्सील से निबंधन प्रमाण-पत्र काउन्सेलिंग के समय जमा नहीं किया गया है, उन्हें दिये गये शर्त के अनुसार एक माह का समय अर्थात् दिनांक 17.11.18 तक बिहार राज्य नर्सिंग काउन्सील से निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र को जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि तक बिहार राज्य नर्सिंग काउन्सील से निर्गत निबंधन प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं कराने पर संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनके नियोजन के दावे को रद्द करते हुये नियोजन के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही साथ निर्धारित अवधि के पश्चात् किसी प्रकार के दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

जिला पदाधिकारी/सह-अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, औरंगाबाद

